बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:–..................

संख्या:–8/आ0(राज0 उ0)–2–11/2015..2992......../ मुंगेर जिला के अधीक्षक उत्पाद कार्यालय का अंकेक्षण में यह प्रकाश में आया कि उत्पाद शुल्क वसूली से संबंधित ट्रेजरी चलान में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मामले की जॉच की गयी और पाया गया कि विभिन्न पदाधिकारियों के पदस्थापन काल में फर्जी चलान के माध्यम से राजस्व क्षति पहुँचाई गयी है।

2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक उत्पाद का मुंगेर जिला में पदस्थापन काल दिनांक–13.09.13 से 19.05.14 तक रहा है और उक्त अवधि में रू. 2,03,17,760/–(दो करोड़ तीन लाख सत्रह हजार सात सौ साठ) रूपये राजस्व की क्षति प्रतिवेदित है। श्री कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरूद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचना, प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–335 दिनांक 19.01.2016 यथा संशोधित संकल्प सं0–1540 दिनांक 18.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार पटना ने अपने पत्रांक–354 दिनांक 01.08.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें आरोप संख्या–2 (प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव) को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–1 एवं 3 को प्रमाणित नहीं निष्कर्षित किया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3628 दिनांक 22.08.2017 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 16.10.2017 को द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि श्री कुमार के कार्यालय प्रधान की भूमिका में रहने की अवधि में राशि का गबन हुआ है, जो इनकी विफलता का परिचायक है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (ix) के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. विभागीय निर्णय पर पत्रांक–809 दिनांक 09.03.2018 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श/अभिमत की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 1030 दिनांक 14.07.2018 द्वारा दण्ड के विभागीय निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

7. अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री सुनील कुमार तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक--8/आ0(राज0 उ0)–2–11/2015........................../ पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8/आ0(राज0 उ0)–2–11/2015........................../ पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– V/एम.1–417/2015 2992 पटना, दिनांकः– 31.8.18

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.08.2018 के मद संख्या–09/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद/अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, औरंगाबाद/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना शाखा–5/आई0 टी0 मैनेजर एवं श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।